न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 05/2019 **GCMS NO. 2019/00055**

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हुकमाराम पुत्र श्री उदाराम जाति जाट निवासी लोरडीसर तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।		1. प्रेमसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी रणधा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर। 2. हिन्दुसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी रणधा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर। 3. सरपंच ग्राम पंचायत फतेहगढ। 4. ग्राम विकास विकास अधिकारी फतेहगढ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री मुरलीधर जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी 1 व 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक :– 01.04.2024

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किए गए। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिताजी स्वर्गीय श्री भगवानसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह को ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरूद्ध फर्जी व गलत जारी किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा दिनांक 15.03.1996 को जारी का पट्टा स्व. भगवानसिंह के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख करना बताया गया है। वह पट्टा प्रथम दृष्टया ही फर्जी है उस पट्टे पर सचिव/ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है। तथा यह पट्टा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में निशुल्क आवंटन के आधार पर पट्टा दिनांक 15.03.1996 को जारी करना बताया गया जबकि पट्टाधारक भगवानसिंह सिंह जाति राजपूत है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं था। स्व. भगवानसिंह ग्राम फतेहगढ का लघु व सीमान्त कृषक भी नहीं था। उक्त पट्टा फर्जी है तथा प्रार्थी को उसके पट्टासुद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

व कब्जासुद जमीन से महरूम करने की बदनियति से पूर्व सरपंच भंवरूराम से मिली भगत कर भगवानसिंह के नाम से फर्जी पट्टा तैयार करवाया है यदि उक्त पट्टा सही होता तो वह पट्टा दिनांक 15.03.1996 को राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम 1961 के नियमों के तहत बनाया जाता तथा उस पट्टे पर पट्टा संख्या होती तथा पट्टा बही में उसका उल्लेख होता इस प्रकार प्रकार की कार्यवाही नही की गई है जिससे यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि दिनांक 15.03.1996 को प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार सर्वसम्मति से निर्णय कर उक्त पट्टा जारी किया गया उक्त पृष्ठाकन भी कूटरचित होने के साथ साथ दिनांक 15.03.1996 एवं उसके आस पास की तारीखों की पंचायत कार्यवाही की प्रोसेडिंग में भी कांट छांट कर पट्टे जारी करने इबारते बाद में जोड़ी गई तथा बैठक की तारीख, उपस्थित पंच के कॉलमों तथा आय व व्यय के विवरण अंकित होने के स्थान पर पट्टे जारी करने बाबत् अंकन किया हुआ है जो अंकन पहले के प्रस्तावों से अलग स्याही व अलग लिखावट स्पष्ट प्रमाणित होते है। कार्यवाही विवरण रजिस्टर में भी दिनांक सहित कांट छांट की गई है एवं इबारते जोड़ी गई है। बैठक रजिस्टर व कार्यवाही विवरण रजिस्टर में ओवर राईटिंग दिखाई दे रही है। मिथ्या साक्ष्य गढकर बमिलावट अप्रार्थी 3 व 4 से पट्टा जारी कराया गया जो पंचायती राज नियमों के विरूद्ध एवं प्रारंभत नल एंड वोईड होने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थी का अनुरोध है कि प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जाए।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु, तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन है और यह कि प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत एवं पोषणीय है। अपने जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 01 को जारी प्रश्नगत पट्टे की मिसल पत्रावलियां, ग्राम पंचायत फतेहगढ का पट्टा जारी करने संबंधी प्रस्ताव, प्रश्नगत पट्टे के पंजीयन तथा कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत की जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 04 की तरफ से ग्राम पंचायत फतेहगढ़ ने जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा अप्रार्थी भगवासिंह के नाम से जारी आवासीय पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नही हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टा मिलावट से फर्जी जारी हुआ हैं जिसे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

निरस्त किया जाना वांछनीय है। अधिवक्ता प्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा दिनांक 15.03.1996 को जारी का पट्टा स्व. भगवानसिंह के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख करना बताया गया है। वह पट्टा प्रथम दृष्टया ही फर्जी है उस पट्टे पर सचिव/ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है। तथा यह पट्टा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में निशुल्क आवंटन के आधार पर पट्टा दिनांक 15.03.1996 को जारी करना बताया गया जबकि पट्टाधारक भगवानसिंह सिंह जाति राजपूत है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं था। स्व. भगवानसिंह ग्राम फतेहगढ का लघु व सीमान्त कृषक भी नहीं था। और ना ही ग्राम पंचायत फतेहगढ का मूल निवासी था।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का जवाब में तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, के अंतर्गत प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा जारी किया गया है जिसका अभिलेख विधिवत संधारित है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी स्व. भगवानसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह को पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत की बैठक का कार्यवाही विवरण जिसमें पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रश्नगत पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त पट्टा विधिवत जारी हुआ है एवं पिछले वर्षो से उनका ही कब्जा होना प्रकट होता है। प्रार्थी ने रंजिश रखते हुए निगरानी प्रस्तुत की है जो संधारणीय नहीं है उनका तर्क रहा कि प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाए।

अप्रार्थी अधिवक्ता को कई अवसर देने के उपरांत भी अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी अधिवक्ता को तीन–तीन बार आवाजें लगाने के उपरांत भी अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया सरपंच ग्राम पंचायत फतेहगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिताश्री स्व. भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह को जारी पट्टा प्रथम दृष्टया फर्जी है। पट्टा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। पट्टे पर सचिव/ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर अंकित नहीं है तथा विवादित पट्टा पंचायती राज अधिनियम 1953 की धारा 87 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में निशुल्क आवंटन के आधार पर पट्टा दिनांक 15.03.1996 को जारी करना बताया गया अप्रार्थी संख्या 04 के जवाब के अनुसार पट्टाधारक भगवानसिंह सिंह जाति राजपूत है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं था। स्व.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

भगवानसिंह ग्राम फतेहगढ का लघु व सीमान्त कृषक भी नहीं था। और ना ही ग्राम पंचायत फतेहगढ का मूल निवासी था। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी फतेहगढ से प्राप्त जवाब के अनुसार अप्रार्थी स्व. भगवासिंह पुत्र भंवरसिंह उस समय ग्राम पंचायत फतेहगढ का मूल निवासी नही था और उसे निशुल्क आवासीय पट्टा जारी किया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है। ग्राम पंचायत फतेहगढ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर बैठक रजिस्टर में दिनांक 15.03.1996 को ग्राम पंचायत ने निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव लिए जाने के उपरांत बैठक कार्यवाही समाप्त किये जाने का अंकन किया गया तत्पश्चात ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर व कार्यवाही विवरण में कांट छांट व ओवर राईटिंग कर नये पट्टे जारी करने की कार्यवाही लीखी गई एवं आबादी भूमि विक्रय पंजिका प्रपत्र–21 संधारित्र कर उक्त पट्टो का इन्द्राज वर्ष 1995–96 में क्र.सं. 01 से प्रारंभ कर किया गया है जो नये रजिस्टर पृष्ठ संख्या 01 पर उपलब्ध है उक्त रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 02 पर वर्ष 1999–2000में जारी पट्टो का अंकन किया गया है। वर्ष 1997–1998 में जारी पट्टो के संबंध में रजिस्टर में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। उक्त जारी के पट्टो के संबंध मे ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टा बुक का अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं साक्ष्य के विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि सरपंच ग्राम पंचायत फतेहगढ़ द्वारा अप्रार्थी भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 15.03.1996 अपास्त योग्य ठहरता है।

अतः प्रार्थी का हस्तगत निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार किया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत फतेहगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिताश्री स्व. भगवानसिंह पुत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 15.03.1996 को निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर